क्रम-संख्या–525

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 1 अक्टूबर, 1977

आश्विन 8, 1899 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 2380/सत्रह–वि-1--78-1977

लखनऊ, 1 अक्टूबर, 1977

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 पर दिनांक 30 सितम्बर, 1977 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1977 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1977)

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य की म्युनिसिपैलिटियों, नोटिफाइड एरियाओं और टाउन एरियाओं के प्रशासन के लिये कतिपय अस्थायी प्रबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित क अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 कहा जायगा ।

म्युनिसिपैलिटीज और नोटीफाइड एरियाओं के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

2—(1) दिनांक 10 अगस्त, 1977 से यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के (जिसे आगे इस धारा में उक्त अधिनियम कहा गया है) उपबन्ध एक वर्ष की अवधि या जब तक उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नगरपालिका बोर्डों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, तक के लिए, प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे; अर्थात्— उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 1916

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, म्युनिसिपल बोर्ड के समस्त सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे;

(ख) म्युनिसिपल बोर्ड, उसके अध्यक्ष और समितियों की सभी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसका प्रयोग, पालन और निर्वहन किया जायगा, और जिला मजिस्ट्रेट [जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है जिसे जिला मजिस्ट्रेट धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्ति प्रतिनिहित करे], जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, म्युनिसिपल बोर्ड, उसका अध्यक्ष या सम्बद्ध समिति समझा जायगा।

(2) दिनांक 10 अगस्त, 1977 से उक्त अधिनियम के उपबन्ध एक वर्ष की अवधि या जब तक कि उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नोटीफाइड एरिया कमेटियों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, तक के लिए प्रत्येक नोटीफाइड एरिया के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नोटीफाइड एरिया कमेटी के अध्यक्ष (चेयरमैन) और सभी सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे;

(ख) नोटीफाइड एरिया कमेटी, और उसके अध्यक्ष की सभी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही उसका प्रयोग, पालन और निर्वहन किया जायगा, और जिला मजिस्ट्रेट [जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है जिसे जिला मजिस्ट्रेट धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्ति प्रतिनिहित करे], जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, नोटीफाइड एरिया कमेटी या उसका अध्यक्ष समझा जायगा।

टाउन एरियाओं के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

3—दिनांक 10 अगस्त, 1977 से संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के, जिसे आगे इस धारा में उक्त अधिनियम कहा गया है, उपबन्ध एक वर्ष की अवधि या जब तक कि उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन टाउन एरिया कमेटियों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, तक के लिए प्रत्येक टाउन एरिया के सम्बन्ध में, निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्— उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 1914

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्ष और सभी सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे;

(ख) टाउन एरिया कमेटी की सभी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही उसका प्रयोग, पालन और निर्वहन किया जायगा, और जिला मजिस्ट्रेट [जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है जिसे जिला मजिस्ट्रेट धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्ति प्रतिनिहित करें], जैसा अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, टाउन एरिया कमेटी या उसका अध्यक्ष समझा जायगा।

अतिरिक्त उपबन्ध

4—(1) जहां किसी संगत अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी म्युनिसिपल बोर्ड, नोटिफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी का पहले ही विघटन या अतिक्रमण कर दिया गया हो और ऐसा विघटन या अतिक्रमण 10 अगस्त, 1977 के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो, वहां भी इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) या उपधारा (2) के खण्ड (ख), या धारा 3 के खण्ड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी एक या अधिक व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।

(3) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा किसी कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक आदेश दे सकती है जो उसे पूर्ववर्ती और सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर कम से कम तीस दिन की अवधि के लिए जो उसके एक सत्र में या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखी जायगी, और जब तक कि कोई पश्चात्वर्ती दिनांक नियत न किया जाय, गजट में अपने प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हो जायं, किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

प्र0 ध्यादेश 0 16, 977

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीनकृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त था।

No. 2380 (2)/XVII-V-1—78-1977

Dated Lucknow, October 1, 1977

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Municipality, Notified Area aur Town Area (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 1977), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 30, 1977.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES, NOTIFIED AREAS AND TOWN AREAS (ALPAKALIK VYAVASTHA) ADHINIYAM, 1977

[U. P. Act no. 13 of 1977]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

to provide for certain temporary arrangements for the administration of the Municipalities, Notified Areas and Town Areas of the State

It is hereby enacted in the Twenty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977.

Temporary provisions regarding administration of Municipalities and Notified Areas.

U.P. Act 2 of 1916.

2. (1) With effect from the 10th day of August, 1977, the provisions of the U.P. Municipalities Act, 1916 (hereinafter in this section referred to as the said Act), shall, for a period of one year or until the reconstitution of the Municipal Boards under the provisions of the said Act, whichever is earlier, have effect in relation to each of the Municipalities subject to the following provisions, namely:—

(*a*) notwithstanding anything in the said Act, all members of the Municipal Board including the President shall cease to hold their respective offices;

(*b*) all powers, functions and duties of the Municipal Board, its President and Committees shall be vested in and be exercised, performed and discharged by the District Magistrate, and the District Magistrate [including the person or authority to whom the District Magistrate delegates his powers under sub-section (2) of section 4] shall be deemed to be the Municipal Board, its President or the Committee concerned, as the occasion may require.

(2) With effect from the 10th day of August, 1977, the provisions of the said Act shall for a period of one year or until the reconstitution of the Notified Area Committees under the provisions of the said Act, whichever is

earlier, have effect in relation to each of the Notified Areas subject to the following provisions namely:—

(*a*) notwithstanding anything in the said Act, the President and all members of the Notified Area Committee shall cease to hold their respective offices;

(*b*) all powers, functions and duties of the Notified Area Committee and its President shall be vested in and be exercised, performed and discharged by the District Magistrate, and the District Magistrate [including the person or authority to whom the District Magistrate delegates his powers under sub-section (2) of section 4] shall be deemed to be the Notified Area Committee or its Chairman, as the occasion may require.

U. P. no. 2 1914.

Temporary provisions regarding administration of Town Areas.

3. With effect from the 10th day of August, 1977, the provisions of the U. P. Town Areas Act, 1914, hereinafter in this section referred to as the said Act shall for a period of one year or until the re-constitution of the Town Area Committees under the provisions of the said Act whichever is earlier, have effect in relation to each Town Area subject to the following provisions namely:—

(*a*) notwithstanding anything in the said Act, the Chairman and all members of the Town Area Committee shall cease to hold their respective offices ;

(*b*) all powers, functions and duties of the Town Area Committee and its Chairman shall be vested in and be exercised, performed and discharged by the District Magistrate and the District Magistrate [including the person or authority to whom the District Magistrate delegates his powers under sub-section (2) of section 4] shall be deemed to be Town Area Committee or its Chairman as the occasion may require.

Additional provisions.

4. (1) The provisions of this Act shall also apply where a Municipal Board, Notified Area Committee or Town Area Committee had already been dissolved or superseded under any other provisions of the relevant Act and such dissolution or supersession was in force immediately before the 10th day of August, 1977.

(2) Subject to any general or special orders of the State Government, the District Magistrate may in respect of all or any of the powers conferred on him by clause (*b*) of sub-section (1) or clause (*b*) of sub-section (2) of section 2, or by clause (*b*) of section 3 delegate, subject to such conditions as he may think fit, to impose, the powers so conferred, to any one or more person or authority to be specified by him in that behalf.

(3) The State Government may from time to time by notification make such incidental and consequential order for the removal of any difficulty as may appear to it to be necessary or desirable for any of the foregoing and connected purposes.

(4) Every notification issued under sub-section (3) shall, as soon as may be after it is issued, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of not less than thirty days extending in its one session or more than one successive sessions, and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of its publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Repeal and savings.

5. (1) The Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhyadesh, 1977, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Adhyadesh shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 143 सा० (विधि०)—1-10-77—(2124)—1977—780 (सैके०) ।